राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 2182/2016.....जिला.....भीलवाडा

उनवान – मैसर्स श्रीनारायणी स्क्रेप सप्लायर्स, भीलवाडा बनाम् सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, वृत्त–अ, भीलवाडा।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/10/2016	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री राजीव चौधरी, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री प्रकाश जैन एवं विभाग की ओर से श्री आर.के.अजमेरा, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.2016 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25, 75, 65 एवं 61 के तहत् कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार विवादित मांग राशि की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया है, अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अधिनियम की धारा 38(4) एवं सपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।	

अ.सं.	कर नि. वर्ष	अपी.अधिकारी की अपील सं.	अपी. अधि. के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि	अ.अधि. द्वारा स्थ. राशि	कर बोर्ड के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि
1	2	3	4	5	6
2182/16	15–16	74/16–17/वेट/भीलवाडा	12,62,130	–	12,62,130

अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश से अस्वीकार करते हुए आदेश पारित किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय बिक्री विवरण पत्रों को अमान्य करते हुए व्यवहारी की करापवंचना की मानसिकता के आधार पर प्रस्तुत अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया है, जो अविधिक प्रतीत होता है। कर निर्धारण अधिकारी ने सर्वेक्षण के पश्चात व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत बिक्री विवरण पत्रों को संशोधित करना व्यवहारी की पश्चातवर्ती सोच के आधार पर प्रकरण बनाया है, जो विधि विरूद्ध है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट 5 प्रतिशत की दर से आरोपित किया है एवं अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का भी आरोपण किया है, जो अविधिक होने के कारण अपास्तनीय है। अतः उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांग राशि के संबंध में प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि की वसूली को कर बोर्ड के समक्ष लम्बित अपील के निस्तारण तक रोक लगाने की प्रार्थना की गयी।

21/10/16

लगातार.....2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 2 :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/10/2016	विभागीय प्रतिनिधि ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली की रोक पर प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया, अपीलीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में अंकित किया है कि :— "अपीलार्थी द्वारा आलोच्य अवधि से संबंधित प्रथम, द्वितीय व तृतीय बिक्री विवरण पत्र शून्य पण्यावर्त में विभाग में ऑनलाईन प्रस्तुत किये गये है। तत्पश्चात, अपीलार्थी का सर्वेक्षण दिनांक 03.05.2016 को होने के पश्चात यह विदित हुआ कि अपीलार्थी ने अपनी नियमित बिक्री को विभाग से पूरी तरह से छुपाते हुये जानबूझकर "शून्य" पण्यावर्त के बिक्री विवरण पत्र प्रस्तुत किये हैं जबकि अपीलार्थी ने अपने ग्राहकों से रूपये 84,14,198/— की बिक्री पर कर वसूल कर राजकोष में जमा नहीं करवाकर एवं अनाधिकृत रूप से कर राशि को स्वयं की जेब में रखने का कृत्य किया था एवम् पकडे जाने पर कर जमा करवाकर शास्ति से बचने का तर्क दिया जा रहा है जो अनुचित है एवम् करावंचन की मानसिकता एवम् कृत्य को प्रमाणित करता है अतः प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में नहीं होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है। **कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित की गयी मांग राशि वसूल योग्य है।"** रिकार्ड का अवलोकन करने से यह पाया गया कि व्यवहारी का सर्वेक्षण दिनांक 03.05.2016 को किया गया एवं नोटिस दिनांक 03.05.2016 को दिनांक 10.05.2016 हेतु जारी किया गया। व्यवहारी ने तत्पश्चात दिनांक 24.05.2016 को रिटर्न रिवाइज कर विक्रय घोषित किया है एवं घोषित विक्रय के अनुरूप कर जमा कराया है। परन्तु चूंकि उक्त कार्यवाही सर्वेक्षण एवं नोटिस के पश्चात की गई है जो अपीलार्थी की करवंचना के उद्देश्य को स्पष्ट करती है। परिणामस्वरूप प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होने से बकाया मांग राशि की वसूली हेतु प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है। उपरोक्तानुसार व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। 21/10/16 (राजीव चौधरी) सदस्य (मदन लाल) सदस्य	